न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/216/2023	03-02-2023	20-03-2023

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत निर्णय विरूद्व उपखण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर निर्णय दिनाक 04.03.2022

उपस्थितः–

01– श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभापक

–::निर्णय::–

प्रभारी अधिकारी जांच कमेटी अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के पत्रांक राजस्व/2023/जांच /3495 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के अनुसरण में सुओमोटो प्रकरण का संज्ञान राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत लिया गया। आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021–22/4777 दिनांक 04.03.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला अलवर ने आराजी खसरा नं 02 रकबा 0.10है0 किस्म बारानी 2 सम्पूर्ण वाके ग्राम–टोडीकाबास, तहसील–टहला, जिला–अलवर की भूमि का आवंटन कजोड पुत्र लक्ष्मण जाति मीना निवासी ग्राम–तोडीकाबास–गोलाकाबास, तहसील–टहला, जिला–अलवर को आवंटन किया गया है, के विरूद्व प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर आवंटी अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

आवंटी/अप्रार्थी को नोटिस जारी करने के बाद कोई उज्र व साक्ष्य/सबूत पेश करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया। आवंटी/अप्रार्थी द्वारा दिनांक 15.02.2023 को जवाब प्रस्तुत किया गया, जवाब मे कथन किया गया कि अप्रार्थी को भूमि हीन मानते हुए एवं आवंटनशुदा आराजी पर पुराना कब्जा होने के आधार नियमानुसार आंवटन किया गया है। आवंटन के संबंध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किये गये है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। अभिभाषक ने सुओमोटो प्रकरण अन्तर्गत नियम 14 (4) में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021–22 /4777 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा नियम विरूद्व प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत राजगढ उपखण्ड के तहसील क्षेत्र राजगढ/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणो की जांच किये जाने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अलवर के आदेश कमांक प0 12–3/राजस्व/2022/8962–63 दिनांक 01.11.2022 के द्वारा उपखण्ड क्षेत्र राजगढ़/टहला के प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान भू

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

राजस्व (कृषि हेतु भूमि आंवटन) नियम, 1970 के तहत आंवटन/नियमन मे अनियमितताओं की जांच किये जाने हेतु जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया गया। प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने विस्तृत जांच की जाकर जांच रिपोर्ट मे आवंटन अनियमितता होने के कारण निरस्त किये जाने की अभिशंषा की है, प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटिकल टाइगर हैवीटाट वन क्षेत्रों की सीमा से लगती हुई है ग्राम टोडीकाबास उपवन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का वन क्षेत्र में आती है एवं अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड अलवर के पत्रांक (टी) 3131 दिनांक 03.02.2023 के अनुसार ग्राम टोडीकाबास कमाण्ड क्षेत्र मे आता है, आवंटन नियम 1970 के नियम 3 के तहत कमाण्ड क्षेत्र मे स्थित भूमि हेतु उक्त नियम लागू नही होते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) स्वीकार फरमाया जाकर अध्यक्ष, आवंटन सलाहाकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी विवादित आंवटन आदेश दिनांक 04.03.2022 को निरस्त फरमावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया, तथा न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर प्रकरण का अद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक जॉच रिपोर्ट आवंटित भूमि में आवंटी की पात्रता के निर्धारण हेतु नियत मापदंडो की पालना नहीं की गई है। आवेदन पत्र पंजीकरण पंजीका (प्रारूप–4) में संधारित है, या नहीं, से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उदघोषणा जारी होने के पश्चात तामील/चस्पानगी के संबंध मे तहसीलदार की पालना रिर्पोट संलग्न नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक की सूचना की तामील कब हुई, इस संबंध में पत्रावली में तारीख का अंकन नही है, ना ही तामील कुनिन्दा की रिर्पोट अंकित है। पटवारी हल्का की मौका जांच रिर्पोट संलग्न नही है, एवं वन विभाग, खनिज विभाग की अनापत्ति भी संलग्न नहीं है, साथ ही आवंटन सलाहकार समितिकी सिफारिश पर दिनांक का अंकन नहीं किया गया है, और बैठक कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर भी नहीं है। कमाण्ड/नॉन कमाण्ड क्षेत्र संबधित दस्तावेज संलग्न नही है। वांछित राजस्व रिकार्ड की नकले पूर्ण संलग्न नही है, संवत् 2012 मे भूमि किस्म व साबिक रिकार्ड की रिपोर्ट नही है तथा अब्दुल प्रकरण बाबत् कोई साक्ष्य नही है। प्रकरण में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपनी जांच रिपोर्ट में आवंटन आदेश शिविरों/फोलोअप कैम्पों मे नहीं किया जाना बतलाया गया है एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों व राजकीय भूमि के आंवटन नियम 1970 के अनुसार आदेश उसी ग्राम मे या विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की अनुमति से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किये जाने चाहिए, जो नहीं किये गये हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों पर प्राप्ति का समय व दिनांक अंकित नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

सलाहाकार समिति की बैठक हेतु नोटिस देते हुए एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया हो व नोटिस की विधिवत तामील हुई हो, इस बावत् कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन करते समय आवंटन की शर्तो की पालना नही कर आराजी का आवंटन किया गया है। प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटिकल टाइगर हैवीटाट वन क्षेत्रों की सीमा से लगती हुई है ग्राम टोडीकाबास उपवन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का वन क्षेत्र में आती है एवं अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड अलवर के पत्रांक (टी) 3131 दिनांक 03.02.2023 के अनुसार ग्राम टोडीकाबास कमाण्ड क्षेत्र मे आता है, आवंटन नियम 1970 के नियम 3 के तहत कमाण्ड क्षेत्र मे स्थित भूमि हेतु उक्त नियम लागू नही होते है। प्रशासनिक जांच कमेटी के सदस्य सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय ने अवगत कराया है कि उक्त आवंटन के संबंध में आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ के राजस्व लेखों की निरीक्षण अवधि 05/2022 अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एंव अनियमितताओं का आक्षेप अंकित किया गया है तथा आवंटन नियमों की शर्तों की पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन खारिज किये जाने हेतु अभिशंषा की गई है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021–22/4777 दिनांक 04.03.2022 आवंटन नियम 1970 में आवंटन हेतु निर्धारित, प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के विपरीत जारी किये गये हैं जो पूर्णतः नियम विरूद्ध है। उक्त आराजी आवंटन किये जाने योग्य नहीं है। अतः सुओमोटो प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14(4) के तहत प्रकरण स्वीकार कर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी आदेश कमांक एल.आर./आवंटन/2021–22/4777 दिनांक 04.03.2022 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
अति० जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर, (राज०)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर